राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या 3164/2025

श्रवण कुमार —अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, खान एवं पेट्रोलियम विभाग, जयपुर।
2. निदेशक, निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर।
3. सहायक खनिज अभियंता, कोटपुतली।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुत करने की दिनांक : 27.06.2025
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यालय सहायक खनिज अभियंता, कोटपुतली में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के तकनीकी स्टॉफ द्वारा दिनांक 30.05.2019 व अन्य दिनांक को निकट ग्राम महाराजावास, दौलतसिंहपुरा, विजयसिंहपुरा रोडवाल एवं अन्य में ईट भटटे का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बिना विभाग की अनुमति के संचालित पाये गये। जिसके उपरांत सर्वेयर कार्यालय द्वारा मौका पंचनामा बनाया गया तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई तथा विभिन्न आदेशों से पेनल्टी की राशि कायम की गई। जिसके विरूद्ध संबंधित फर्म ने प्रत्यर्थी विभाग उदयपुर में अपील दायर की तथा अपील दायर करने के पश्चात् प्रत्यर्थी संख्या 3 के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया तथा 500/– रुपये का स्टाम्प संलग्न करते हुए कथन किया कि अपील में जो निर्णय होगा, उसके अनुसार फर्म पालना करेगी। जब तक परमिट को रिन्यू किया जावें। जिस पर अपीलार्थी के पास आवेदन पहुंचने के पश्चात् अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 3 को समस्त तथ्यों को लिखते हुए दिनांक 11.12.2019 (अनुलग्नक–3) व अन्य दिनांक को जिन फर्मों के रिन्यू हेतु आवेदन आये, उनको प्रत्यर्थी संख्या 3 को केवल मात्र अवलोकनार्थ पत्रावली को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी किसी प्रकार से किसी भी फर्म का ना तो परमिट रिन्यू कर सकता है और ना ही किसी को परमिट जारी कर सकता है। अपीलार्थी के पास किसी प्रकार का कोई अधिकार

नहीं है। प्रत्यर्थी संख्या 3 को ही यह अधिकार है कि वह परमिट जारी करें तथा रिव्यू करें तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा ही संबंधित फर्मों को रिन्यू परमिट जारी किये गये तथा पेनल्टी की वसूली के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किये। जिसमें अपीलार्थी का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 30.04.2025 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसमें यह लिखा कि 17 ईट भट्टों के पंचनामे बनाये गये थे, जिनकी मांग कायमी आदेश दिनांक 30.10.2019 से जारी के उपरांत वसूली की कोई कार्यवाही नहीं की गई। जो राजकार्य में उदासीनता को दर्शाता है। अर्थात् अपीलार्थी को लापरवाही का दोषी मानते हुए नोटिस जारी किया, जबकि अपीलार्थी ना तो किसी ईट भट्टे की फर्म से वसूली कर सकता है और ना हीं इस बात का अपीलार्थी को अधिकार है। जिसका जबाब अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीगण को दिनांक 23.05.2023 को प्रस्तुत करते हुए समस्त तथ्यों का अंकन किया। उसके पश्चात् अपीलार्थी को आज तक किसी प्रकार का कोई आरोप पत्र जारी नहीं किया गया तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 के आदेश दिनांक 25.06.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम 16 व 17 में किसी प्रकार की जांच प्रस्तावित किये बिना तथा आरोप पत्र जारी किये बिना सीसीए नियम 13 में उल्लेखित प्रावधानों के विपरीत आलौच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी को निलम्बित किया गया तथा अपीलार्थी का मुख्यालय अतिरिक्त निदेशक, खान कोटा में किया गया। जिसकी पालना में प्रत्यर्थी संख्या 3 ने आलौच्य आदेश दिनांक 25.06.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त किया। जो अवैध व अनुचित है तथा विधि विरुद्ध है। अगर अपीलार्थी प्रत्यर्थी संख्या 3 को किसी भी फर्म का कोई भी प्रार्थना पत्र को नोटशीट के प्रस्तुत नहीं करता तो अपीलार्थी को प्रस्तुत नहीं करने के आधार पर दोषी मानते हुए कार्यवाही की जाती। किन्तु अपीलार्थी ने नियमानुसार जो कर्तव्य था, उसका पालन किया तथा पत्रावली को प्रत्यर्थी संख्या 3 के पास प्रेषित की। जिसका समस्त रिकॉर्ड प्रत्यर्थीगण के पास मौजूद है। प्रत्यर्थी संख्या 3 के कार्यालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रेषित पत्रावलियों पर संबंधित ईट भट्टे के फर्म को रिन्यू नहीं किये जाने व वसूली करने के कोई आदेश जारी नहीं किये। जिसके लिए प्रत्यर्थी संख्या 3 दोषी है। अपीलार्थी का इसमें कोई दोष नहीं है तथा अपीलार्थी ने विस्तृत रूप से प्रत्यर्थीगण को जवाब भी प्रस्तुत किया है तथा वसूली हेतु की गई कार्यवाही से भी अवगत कराया है। फिर भी तत्कालीन प्रत्यर्थी संख्या 3 के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं करते हुए अपीलार्थी को बिना जांच प्रस्तावित किये दोषी मानते हुए निलम्बित किया गया है। अपीलार्थी के पास सितम्बर 2019 से अप्रैल 2020 तक करीब 8 माह ही शाखा का चार्ज रहा तथा संबंधित ईट भट्टों के बिना परमिट के जारी होने पर विभाग द्वारा जो पेनल्टी लगाई गई थी, उसके विरुद्ध संबंधित फर्मों ने प्रत्यर्थी संख्या 2 कार्यालय में अपील कर रखी थी, जिसके पश्चात् रिन्यू के लिए आवेदन किया तो अपीलार्थी ने

पत्रावली प्रत्यर्थी संख्या 3 के पास प्रेषित की, जिस पर प्रत्यर्थी संख्या 3 ने रिन्यू परमिट जारी किये तथा प्रत्यर्थी संख्या 3 ने भी वसूली को आज तक खत्म नहीं किया है तथा अपीलार्थी के चार्ज समाप्ति के पश्चात् जिनके पास चार्ज रहा, उनके विरूद्ध विभाग द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है तथा अपीलार्थी को जानबूझकर दुर्भावनापूर्वक राजनीतिक रूप से प्रताड़ित करने के आशय से बिना दोष के ही दोषी मानते हुए आलौच्य आदेश के द्वारा अपीलार्थी को निलम्बित किया गया है। जबकि अपीलार्थी के विरूद्ध ऐसा कोई गंभीर आरोप नहीं है, जिसके आधार पर अपीलार्थी को निलम्बित किया जा सकता हो। राज्य सरकार ने दिनांक 10.01.2001 को समस्त विभागों को परिपत्र जारी करते हुए यह निर्देशित किया है कि किसी भी कर्मचारी को तब तक निलम्बित नहीं किया जावें, जब तक रंगे हाथों एन्टी करेप्शन ब्यूरो द्वारा नहीं पकड़ा गया हो, नैतिक अधमता (Moral Turpitud)) तथा ऐसे चार्जेज जिसके कारण कर्मचारी को सेवा से बर्खास्त किया जा सकता हो, ऐसे आरोप नहीं हो, तब तक किसी भी कर्मचारी को निलम्बित नहीं किया जावें तथा माननीय उच्च न्यायालय ने एसबी सिविल रिट पीटिशन संख्या 1788/2024 नरेश सिंह बनाम राज्य सरकार में दिनांक 21.02.2025 को समान तथ्यों पर रिट याचिका को स्वीकार किया है। अपीलार्थी का प्रकरण भी समान तथ्यों पर आधारित है। मंत्रमुग्धा कटारिया बनाम वित्त विभाग में दिनांक एसबी सिविल रिट पीटिशन संख्या 5831/2022 शिवपाल सिंह बनाम राज्य सरकार में दिनांक 28.04.2022 को नियम 13 में उल्लेखित प्रावधानों के विपरीत जाकर बिना जांच प्रस्तावित हुए अपीलार्थी को निलम्बित किया गया थाए जिस पर स्थगन आदेश जारी किया है तथा माननीय अधिकरण ने भी उक्त आदेशों की पालना में अपील संख्या 2414/2023 अमरसिंह बनाम खान विभाग में दिनांक 21.09.2023 (अनुलग्नक–7) को तथा अपील संख्या 2751/2025 रमेश कुमार बनाम परिवहन विभाग में दिनांक 06.06.2025 (अनुलग्नक–8) तथा अपील संख्या 2487/2024 हिम्मत सिंह शेखावत बनाम ग्रामीण विकास विभाग में दिनांक 27.08.2024 (अनुलग्नक–9) को समान तथ्यों पर स्थगन आदेश जारी किये है। अपीलार्थी का प्रकरण भी समान तथ्यों पर आधारित है तथा अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया है कि प्रत्यर्थी विभाग के जवाब में भी यह उल्लेख नहीं है कि अपीलार्थी के वियद्ध सीसीए नियम–16 व 17 किस नियम में जांच की जायेगी या प्रस्तावित की जायेगी का भी उल्लेख नहीं किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 6105/2006 हजारी लाल विष्णु बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 25.08.2018 एवं एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 10010/2020 योगेश आचार्य बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 06.12.2021 को यह निर्धारित किया है कि अगर किसी कर्मचारी के विरूद्ध जांच प्रस्तावित की गई हो या विचाराधीन हो, के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। जिसके आधार पर रिट याचिका को स्वीकार किया गया। अपीलार्थी की

अपील भी उक्त तथ्यों पर आधारित होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के निलम्बन आदेश 25.06.2025 (अनुलग्नक–1) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 25.06.2025 (अनुलग्नक–2) को अपास्त किया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी को वरिष्ठ सहायक के पद यथावत स्थान पर पदस्थापित रखा जावे।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपील का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि शिकायतकर्ता श्री देवेन्द्र सिंह ने आरोप लगाया है कि श्री श्रवण कुमार वरिष्ठ सहायक, खान विभाग, कोटपूतली ने अवैध खनन माफियाओं से रिश्वत लेकर 6.00 करोड रुपये की राजस्व हानि की, और बकाया राशि होने के बावजूद ईंट मिटटी के परमिट जारी किए। यह भी आरोप है कि 17 अवैध भट्टों में से 9 को बकाया राशि और Fir में FR लगे बिना ही परमिट जारी कर दिये गये और बकाया राशि की वसूली आज तक नहीं हुई। इसके अतिरिक्त शेष 8 भटटे आज भी अवैध रुप से चल रहे है और उनके खातेदारी अधिकार निरस्त करने की कार्यवाही नहीं की गई। शिकायतकर्ता ने शाहपुरा तहसील में 2015 और 2019 के 8 गटटों से संबंधित पत्रावलियां गायब होने का भी आरोप लगाया, जिसके लिए श्री श्रवण कुमार को जिम्मेदार ठहराया गया है। सहायक खनिज अभियंता, कोटपूतली द्वारा तहसील नीमराणा के विभिन्न गांवों में खनिज ईंट भटटे के कुल 17 ईट भटटों के विरुद्ध दिनांक 30.05.2019 और 06.08.2019 को पंचनामे बनाए गए। इन पंचनामों के आधार पर नीमराणा पुलिस थाना में 2 एफ आई आर संख्या 313/2019 और 479/2019 दर्ज की गई। दोनों एफ आई आर में पुलिस द्वारा 21.01.2020 को न्यायालय में अदम वकू गलत फहमी में किता (कोई अपराध नहीं पाया गया, गलतफहमी में दर्ज) की अंतिम रिपोर्ट (एफ आर) पेश की गई। सहायक खनि० अभियंता, कोटपूतली कार्यालय को इन एफ आर की जानकारी पुलिस से दिनांक 16.01.2024 को प्राप्त हुई। जानकारी मिलने के बाद प्रोटेस्ट याचिका प्रस्तुत करने की कार्यवाही की गई और यह याचिका दिनांक 01.07.2024 को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बहरोड अलवर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो वर्तमान में विचाराधीन है। प्रोटेस्ट याचिका देर से प्रस्तुत करने का मुख्य कारण पुलिस द्वारा एफ आर की जानकारी देर से देना और विभाग के फरियादी होने के बावजूद न्यायालय द्वारा नोटिस जारी न करना बताया गया है। इस देरी के लिए किसी भी कार्मिक के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है। सहायक सनि० अभियंता कोटपूतली द्वारा 17 अवैध खनन पंचनामों के विरुद्ध 30.10.2019 को मांग कायम की गई। इन मांग आदेशों के विरुद्ध 14 अवैध खननकर्ताओं ने अतिरिक्त निदेशक (खान), जयपुर जोन, जयपुर के समक्ष अपीले दायर की। अपीलें विचाराधीन होने और राजस्व प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए सहायक खनि अभियंता द्वारा 9 परगिट 5 वर्ष की अवधि के लिए उन ईट भटटाधारकों को जारी किए गए जिन्होंने पंचनामे बनने के बाद आवेदन किया था। इन सभी 9 परमिटों को सहायक

खनि० अभियंता, कोटपूतली द्वारा दिनांक 29.07.2024 को निरस्त कर दिया गया। सहायक खनि अभियंता ने श्री श्रवण कुमार वरिष्ठ सहायक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु दिनांक 30.04.2025 को 15 दिवसीय नोटिस जारी किया गया है। अवैध खननकर्ताओं द्वारा दायर अपीलें माननीय अतिरिक्त निदेशक (खान) जयपुर जोन जयपुर द्वारा दिनांक 07.07.2022, 08.07.2022, 19.07.2022, 21.07.2022 तथा 08.08.2022 के आदेशों से निरस्त कर दी गई है, जिसमें मांग आदेश दिनांक 30.10.2019 को सही माना गया है। इन आदेशों के विरुद्ध अवैध खननकर्ताओं/अपीलकर्ताओं द्वारा माननीय संयुक्त शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर के समक्ष रिवीजन याचिकाएँ दायर की गई हैं जो विचाराधीन है। अवैध खनन के पंचनामों में वसूली हेतु भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत 3 प्रकरणों में दिनांक 18.09.2024 और शेष 14 प्रकरणों में दिनांक 07.03.2025 को मांग पत्र जारी किया गया। वसूली हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अवैध खननकर्ताओं पर कुल 5.99 करोड रुपये की राशि बकाया है। इस बकाया राशि की वसूली हेतु समय पर कार्यवाही नहीं करने के लिए संबंधित लिपिक को दिनांक 30.04.2025 को 15 दिवसीय नोटिस जारी किया गया। अवैध खननकर्ताओं की खातेदारी भूमि के अधिकार निरस्त करने हेतु सहायक खनि अभियंता, कोटपूतली द्वारा दिनांक 20.09.2019 को तहसीलदार को लिखा गया और दिनांक 09.04.2025 को स्मरण कराया गया। समय पर स्मरण पत्र जारी नहीं करने के लिए संबंधित लिपिक को दिनांक 30.04.2025 को 15 दिवसीय नोटिस जारी किया गया है। 17 ईंट भटटों की पुनः जांच दिनांक 03.04.2025 और दिनांक 04.04.2025 को की गई, जिसमें से 14 ईंट भटटे पुनः अवैध रुप से संचालित पाए गए। इन 14 भटटों के मौके पर नए पंचनामें बनाए गए हैं और इनसे 2.10 करोड रुपये की वसूली योग्य राशि लंबित है। जांच रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि ईट भटटों में अवैध खनन की बकाया राशि रहने परमिट जारी किए गए। अवैध खनन की वसूली हेतु समय पर कार्यवाही नहीं की गई। खातेदारी भूमि के अधिकार निरस्त करने हेतु समय पर स्मरण पत्र जारी नहीं किए गए, सहायक खनि अभियंता, कोटपूतली द्वारा संबंधित लिपिक (श्री श्रवण कुमार) को दिनांक 30.04.2025 से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। चूंकि अधीक्षण अभियंता जयपुर की जांच रिपोर्ट में श्री श्रवण कुमार को अनियमितता का दोषी पाया गया है और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है, तथा उनका पदस्थापन घटनास्थल पर ही है जिससे जांच कार्यवाही बाधित हो सकती है, अतः सीसीए नियम 13 (1) (क) के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें निलंबित किया गया है। अनुशासनात्मक कार्यवाही आरंभ करते हुए निदेशालय स्तर से भी उन्हें दिनांक 25.06.2025 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, यह कार्यवाही नियमानुसार है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।

4. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

5. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि सहायक खनि० अभियंता, कोटपूतली कार्यालय को प्रकरण में एफआरआई की जानकारी पुलिस से दिनांक 16.01.2024 को प्राप्त हुई। जानकारी मिलने के बाद प्रोटेस्ट याचिका प्रस्तुत करने की कार्यवाही की गई और यह याचिका दिनांक 01.07.2024 को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश बहरोड अलवर के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो वर्तमान में विचाराधीन है एवं आदेशों के विरुद्ध अवैध खननकर्ताओं/अपीलकर्ताओं द्वारा संयुक्त शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर के समक्ष रिवीजन याचिकाएँ दायर की गई हैं जो विचाराधीन है। अधीक्षण अभियंता जयपुर की जांच रिपोर्ट में अपीलार्थी को अनियमितता का दोषी पाया गया है और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है, तथा उनका पदस्थापन घटनास्थल पर ही है जिससे जांच कार्यवाही बाधित हो सकती है। अपीलार्थी को निलम्बित किये जाने का आदेश दिनांक 25.06.2025 (अनुलग्नक–1) प्रत्यर्थी संख्या 2 के द्वारा पारित किया गया है। उक्त आदेश के अवलोकन से यह प्रकट है कि आदेश राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम–13 (1)(क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया है। इस आदेश में अपीलार्थी के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच करने पर गंभीर अनियमिता करना पाया गया। विभागीय कार्यवाही बाधित नहीं हो, इसके लिए अपीलार्थी को निलम्बित कर मुख्यालय अतिरिक्त निदेशक खान, कोटा किया गया। ऐसी स्थिति में आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार जारी किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी द्वारा हमारे समक्ष ऐसा कोई दसतावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्थापित हो सके कि आलौच्य आदेश विद्वेषपूर्ण, मनमाना अथवा विधि के किन्हीं नियमों के विपरीत हो।

6. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावडा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य